

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)
प्रभार आदेश

क्रमांक : 36(एक-दो-01)07

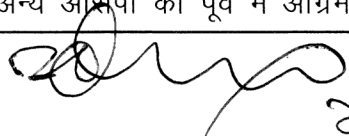
सागर दिनांक 20.04.2026

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 एवं 10 तथा म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को अधिष्ठित (सुपरसेशन) करते हुए सागर में पदस्थ समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर, बण्डा, बीना, देवरी, खुरई, रहली, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर, बण्डा, शाहगढ़, बीना, देवरी, केसली, खुरई, मालथौन, गढ़कोटा एवं रहली की अनुपस्थिति में या किसी भी प्रकार के अवकाश काल में अथवा न्यायालय के रिक्त होने की दशा में उनके न्यायालय के अत्यावश्यक कार्यभार की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है यह आदेश दिनांक 21.04.2025 से प्रभावशील होगा:-

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर के अवकाश पर रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत होंगे:- सोमवार को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर मंगलवार को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सागर बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर गुरुवार को नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर शुक्रवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सागर शनिवार को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सागर, उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर जमानतों के अतिरिक्त शेष कार्य हेतु:- प्रथम प्रभार -विशेष न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा. अधिनियम), सागर। द्वितीय प्रभार- अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर तृतीय प्रभार- प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर एवं उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश।

नोट 1. उपरोक्तानुसार प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन प्रथम प्रभार वाले न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के न्यायालय में अंतरित की गई समझे जावेंगे, परन्तु यदि कोई पश्चातवर्ती द्वितीय या तृतीय नियमित जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत होता है तो ऐसा जमानत आवेदन पत्र उन्हीं न्यायाधीश के न्यायालय में जिनके द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया है, स्वमेव अंतरित माना जावेगा और उन्हीं के द्वारा उक्त जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई एवं निराकरण किया जावेगा।

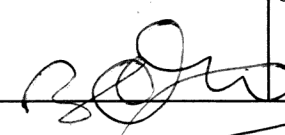
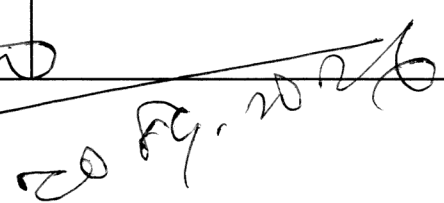
2. यदि एक ही अपराध में किसी अन्य आरोपी का पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र या नियमित जमानत


20.04.2026

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
आवेदन पत्र किसी न्यायाधीश के द्वारा निराकृत किया जा चुका है, वहां पर उसी अपराध से संबंधित किसी अन्य सहआरोपी का नियमित जमानत आवेदन पत्र अथवा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो ऐसा जमानत आवेदन पत्र उन्हीं न्यायाधीश के समक्ष स्वतः अंतरित माना जावेगा और ऐसे आवेदन की सुनवाई उन्हीं न्यायाधीश के द्वारा की जाकर आवेदन का निराकरण किया जावेगा जिन्होंने पूर्व में अपराध के अन्य आरोपी के जमानत आवेदन का निराकरण किया है, किन्तु यदि मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर सत्र प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका हो वहां सत्र प्रकरण के लंबित रहने के दौरान सहआरोपी का अग्रिम अथवा नियमित जमानत आवेदन पत्र उन्हीं न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जायेगा जिनके यहां सत्र प्रकरण लंबित है। 3. उपरोक्त वर्णित प्रथम न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में द्वितीय न्यायिक अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होंगे और उनके न्यायालय में अंतरित समझे जावेंगे और उन्हीं न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा अंतिम रूप से निराकृत किये जावेंगे। 4. प्रथम एवं द्वितीय तक न्यायिक अधिकारीगण के भी अवकाश पर होने की दशा में प्रथमतः विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सागर के न्यायालय में तथा उनके अवकाश पर होने की स्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई की जावेगी।		
2.	विशेष न्यायाधीश सत्र खंड सागर (अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सागर	माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के मेमो क्रमांक C/2264/III-6-3/90 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के अनुक्रम में SC/ST ACT के अधीन जमानतों जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा, उनकी अनुपस्थिति में संपूर्ण सागर जिले में उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा और किसी भी अपर सत्र न्यायाधीश के उपलब्ध न होने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनी जावेगी। जमानतों के अतिरिक्त शेष कार्य हेतु:- प्रथम प्रभार- अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर द्वितीय प्रभार- प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तृतीय प्रभार-नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के पश्चात् के क्रमानुसार पदक्रम के उपस्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश।
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988)	पी0सी0 एक्ट के मामलों में जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा की जावेगी। जमानतों के अतिरिक्त शेष कार्य हेतु:- प्रथम प्रभार-नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर द्वितीय प्रभार-तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तृतीय प्रभार-सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।
4.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर	प्रथम प्रभार-चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर द्वितीय प्रभार-पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तृतीय प्रभार-षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।
5.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय अति मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर	प्रथम प्रभार-पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर द्वितीय प्रभार-षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तृतीय प्रभार-सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।

20/05/2016

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
6.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं चतुर्थ अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर (पॉक्सो एक्ट)	प्रथम प्रभार—द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर । द्वितीय प्रभार—अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तृतीय प्रभार—नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
7.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं पंचम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार—षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर । द्वितीय प्रभार—तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तृतीय प्रभार—सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
8.	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं षष्ठम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार—सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर । द्वितीय प्रभार—द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तृतीय प्रभार—पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
9.	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सप्तम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार—पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर द्वितीय प्रभार—अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर तृतीय प्रभार—नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर । तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
10.	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अष्टम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार—नवम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर द्वितीय प्रभार—विशेष न्यायाधीश (एम.पी.ई.बी. क्रमांक 10) सागर तृतीय प्रभार—तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर । तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
11.	नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं नवम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	प्रथम प्रभार—तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर द्वितीय प्रभार—चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्याया., सागर । तृतीय प्रभार—पंचम जिला एवं अपर सत्र न्याया., सागर । तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर ।
12.	विशेष न्यायाधीश (एम.पी.ई.बी. क्र 10) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर	केवल विद्युत अधिनियम, से संबंधित जमानत आवेदन पत्र की सुनवायी हेतु प्रथम प्रभार विशेष न्यायाधीश एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट सागर को रहेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश सागर की न्यायालय को प्रभार माना जावेगा । विशेष प्रकरणों की जमानत आवेदनों के अतिरिक्त शेष कार्य हेतु:- प्रथम प्रभार—सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर द्वितीय प्रभार—नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर । तृतीय प्रभार—तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर । तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के पश्चात् के क्रमानुसार पदक्रम के उपस्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश । उक्त कार्यविभाजन आदेश पीठासीन अधिकारी के कार्यभाग ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा ।

[illegible]

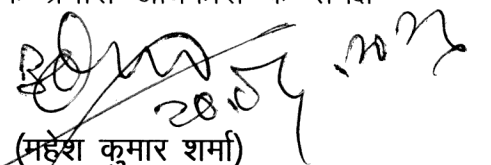
[illegible]

तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सागर ।

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
		तत्पश्चात् तहसील मुख्यालय सागर में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सागर।
49.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी	प्रथम प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवरी द्वितीय प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रहली तृतीय प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रहली तत्पश्चात् तहसील मुख्यालय सागर में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सागर।
50.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड केसली	प्रथम प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवरी द्वितीय प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी तत्पश्चात् तहसील मुख्यालय सागर में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सागर।
51.	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा	प्रथम प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रहली द्वितीय प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रहली तत्पश्चात् तहसील मुख्यालय सागर में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सागर।
52.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रहली	प्रथम प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रहली द्वितीय प्रभार—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सागर तृतीय प्रभार—पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सागर तत्पश्चात् जिला मुख्यालय सागर में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सागर
53.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रहली	प्रथम प्रभार— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रहली द्वितीय प्रभार—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सागर तृतीय प्रभार—पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सागर तत्पश्चात् जिला मुख्यालय सागर में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सागर

टीप:-

1. किसी भी वर्ग के प्रभारी न्यायालय का पद कम समाप्त होने पर आगे का प्रभार अंतिम पद कम के उत्तरवर्ती क्रमांक के न्यायालय से प्रारंभ माना जावेगा।
2. इस कार्य विभाजन पत्रक का न्यायाधीशों के वरिष्ठता कम पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
3. ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान न्यायाधीशगण के आवश्यक प्रभार के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अवकाश के पूर्व विशेष आदेश पारित न किये जाने की दशा में सामान्य प्रभार ही यथावत् लागू होगा।
4. म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 21(4) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, सागर जिले में पदस्थ सिविल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी में से किसी के ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन अवकाश अथवा लंबी अवधि तक अवकाश पर रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल प्रकरण/अंतर्वर्ती आवेदन उनके प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाकर निराकृत किये जावेंगे।


 (महेश कुमार शर्मा)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 सागर (म.प्र.)